न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल
प्रकरण सख्याः— 23/20 निर्णय दिनांक 16.08.2024

1 श्री सोमा पिता श्री हकरा जाति भील उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सीमलवाडा तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1 श्री प्रभु पिता श्री कचरू जाति कलाल उम्र वयस्क निवासी सीमलवाडा राजपुर रोड तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
2 श्री हरिया पिता श्री भीखा जोगी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सीमलवाडा तहसील सोमलवाडा जिला इंगरपुर (राज.)
3 श्री रामा पिता श्री हुरजी जाति जोगी उम्र वयस्क पेशा काश्त निवासी सीमलवाडा तहसील सोमलवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)
3/1 श्रीमती धुली पत्नि रामा जोगी
3/2 श्री नारायण पुत्र रामा जोगी

प्रतिवादीगण

वाद खसरा संख्या 1871 मौजा सीमलवाडा पर से अतिक्रमण हटाया जाकर कब्जा दिलाने तथा स्थायी निपेधाज्ञा जारी करने अर्न्तगत धारा 183,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :—श्री कर्तव्य शाह वादी की ओर से
प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आदेश है।

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम सीमलवाड़ा संवत 2063 दो हजार तेरसठ से 2066 दो हजार छासठ के खाता नम्बर 362 तीन सौ बासठ नयी 291 दो सौ इकरानवे पुरानी के वादी तथा प्रतिवादी संख्या दो व तीन खातेदार काश्तकार है तथा इस खतौनी मे अकिंत खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा 0.13 तेरह बिस्वा पर काबिज होकर वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त कर उससे पैदा वाली फसल अपने अपने हिस्से की भूमि पर प्राप्त कर अपना जीवनयापन करते हैं। प्रतिवादी संख्या एक का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर से किसी प्रकार का लेना देना नही है। वादी ने प्रतिवादी संख्या एक को खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरीत नहीं किया है और न ही कभी भी किसी प्रकार से काश्त करने को सिपुर्द ही किया है प्रतिवादी संख्या 2 व 3 कमशः ओ.बी.सी. तथा शिडयुल ट्राइब में आते है और ये कानूनी रूप से भी प्रतिवादी संख्या एक को खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर की भूमि किसी भी प्रकार से हस्तान्तरीत नाही कर सकते हैं। प्रतिवादी संख्या एक ने खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर पर वादी के विरोध करने के बावजूद वादी की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा सामाजिक एवं निरक्षरता का लाभ उठा कर जबरन खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के उत्तरी भाग की 20 गुणा 30 फिट भूमि पर कुछ समय पूर्व कब्जा कर मकान का निर्माण कर लिया है तथा कुछ भूमि पर पत्थर डाल दिये है। वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को कब्जा हटाने को कहने पर प्रतिवादी संख्या एक अतिशीघ्र कब्जा हटा लेने का आश्वासन देते हुए आज कल करता हुवा टालमटोल कर समय गुजारता रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादी के द्वारा अन्तिम बार जून के आखरी सप्ताह में कब्जा हटा लेने प्रतिवादी संख्या एक को ताकीर की तो प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि पुलिस के सहयोग से झूठे मुकदमों में फंसा दूँगा और पूरी भूमि पर कब्जा कर लूंगा प्रतिवादी संख्या एक के इस तरह के व्यवहार से वादी को विश्वास हो गया है कि प्रतिवादी संख्या एक वादी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को नहीं हटायेगा और प्रतिवादी संख्या एक कभी भी बलप्रयोग कर वादी की शेष भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास करेगा। वादी प्रतिवादी संख्या एक द्वारा किये गये अत्तिकमण को न्यायालय आपकी सहायता के बिना हटाने में सक्षम नही है। इस कारण वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुवा है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या दो व तीन खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा मौजा सीमलवाडा के खातेदार काश्तकार है वादी का वाद प्रथम दृष्टया है तथा सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी वादी के पक्ष मे है। वादी की आजिविका का मुख्य साधन काश्त है। प्रतिवादी संख्या एक को खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के किसी भी भाग पर अतिक्रमण कर काबिज होने का किसी भी प्रकार का अधिकार नही है। वादी के अधिकारी को इस तरह की क्षति पहुँच रही है जिसका कि मूल्यांकन किया जाना संभव नही है और इस प्रकार वादी को अपूरणीय क्षति हो रही है। वादी प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के उत्तरी भाग की 20 गुणा 30 फिट भूमि पर कुछ समय पूर्व अतिक्रमण कर कब्जा कर मकान का निर्माण किया है तथा कुछ भूमि पर पत्थर डाल दिये है को विध्वंश कराया जाकर इस भाग का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी निरक्षर तथा आर्थीक रूप से कमजार है और प्रतिवादी संख्या एक वादी के मुकाबले में आर्थीक रूप से सुदृढ तथा प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को धमकी दी है कि वह वादी को झूठी फोजगारी कार्यवाही में फंसा कर उनकी भूमि पर कब्जा कर लेगा और अपनी इस धमकी को कियान्वित करने के लिये प्रतिवादी संख्या एक कभी भी अपने सहयोगियों के साथ बल प्रयोग कर वादी के विरूद्ध झूठी कार्यवाही कर भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करेगा और वादी के द्वारा इसका विरोध किये जाने पर शान्ति भंग होगी तथा वादी के जीवन को संकट उत्पन्न होगा तथा वादी को इस प्रकार की मानसिक वेदना तथा परेशानी होगी तथा उनके अधिकारों को इस प्रकार की क्षति होगी जिसका कि मूल्यांकन किया जाना तथा पूर्वी किया जाना संभव नही होगा तथा वादी की आजिविका का साधन काश्त समाप्त हो जावेगा तथा भूमि की किस्म मे परिवर्तन होगा एवं वाद विविधता बढेगी। इस कारण वादी के अधिकारो की रक्षा हेतु प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वाद कारण प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा वाद के हिस्से के खसरा संख्या 1871 के उत्तरी भाग की 20 गुणा 30 फिट भूमि पर कुछ समय पूर्व कब्जा कर मकान का निर्माण कीया है तथा कुछ भूमि पर पत्थर डाल दिये है। पर से अतिक्रमण हटाकर कब्जा सिपुर्द करने का अनुरोध किया परन्तु अन्तिम बार जून के अन्तिम सप्ताह मे प्रतिवादी द्वारा अतिक्रमण हटाने से इन्कार करने से तथा वादी को झूठे मुकदमो में फंसाकर पूरी भूमि पर कब्जा कर लेने की धमकी दिये।जाने से उत्पन्न हुवा है। तथा प्रतिवादी संख्या एक का अतिक्रमण की गई भूमि पर कब्जा बना रहने से प्रतिदिन उत्पन्न होता रहता है। प्रतिवादी संख्या दो व प्रतिवादी संख्या तीन वादी के साथ ही खातेदार काश्तकार है और वे इस वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उनको पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्र किसी भी प्रकार के अनुतोष प्रदान की प्रार्थना नहीं की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।
(अ)मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है को विध्वंश कराया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे ।
(ब) उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिकमण कर वादी को बेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया है कि–

वादी सोमा द्वारा दिनांक 23 जून 1982 को सीमलवाडा में स्थित हल्के आबादी में उसके कब्जे नाम अधिकार का मकान टापरी जिसके पूर्व चौक में रसोडा 10×10 फीट चौक के बाद आवास, आवास के पश्चिम कोठा, उत्तर तरफ आवास व कोठे में मिला हुआ मवेशियों का ढालिया जिसकी लम्बाई व चौडाई पूर्व पश्चिम जानीब दक्षिण चौक 21 फीट व आवास कोठा 39 फीट, दक्षिण से जानिब पश्चिम 25 फिट कोठा 17 फीट ढालिया तथा पश्चिम से पूर्व जानिब उत्तर 55 फीट उत्तर से दक्षिण जानिब पूर्व 40 फीट आवास व कोठे के बीच का नाप जानिब ढालिये 31 फीट उपरोक्त क्षेत्रफल एवं स्थिति का मकान टापरा वादी ने प्रतिवादी सं. 1 से रूपया 3000/–(तीन हजार) विक्रय मूल्य प्राप्त कर मकान का कब्जा प्रतिवादी सं. 1 को सुपुर्द कर रजिस्ट्री कराई थी। विक्रय पत्र में विक्रय किये मकान के पूर्व दिशा में इस मकान टापरी की हेन्ड के बाद आम रास्ता पश्चिम में उमर घांची का खेत, दक्षिण में रामा व शीवा के मकान, उत्तर में उमर घांची जमीन दर्शित की हुई है। वादी द्वारा उसका मकान टापरी विक्रय पत्र सम्पादन के समय हल्के आबादी में स्थित होना दर्शाकर बताकर विक्रय किया था तथा इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या एक ने क्रय किया था वादी ने विक्रय पत्र में कोई खसरा नं. अंकित नहीं करवाया था। वर्ष 1982 से प्रतिवादी सं. 1 उपरोक्त क्रयशुदा मकान पर निवास कर रहा है। विक्रय पत्र में मकान टापरी हल्का आबादी में स्थित होना दर्शाकर वादी ने प्रतिवादी सं. एक को मकान विक्रय किया है। उपरोक्त मकान टापरी पर किसी प्रकार से काश्त नहीं कि जाती है न ही वादी इस पर काश्त करता था क्योंकि स्वयं वादी ने विक्रय किये गये मकान टापरी जो मौके पर बना हुआ था को प्रतिवादी सं. एक को विक्रय किया है। ऐसी परिस्थिति में जहाँ लम्बे समय से काश्त नहीं कि जाती है. भूमि आबादी की श्रेणी में मानी जावेगी वादी प्रतिवादी संख्या एक के पक्ष में विक्रय पत्र सम्पादित करवाये जाने से इनकार करता है तो प्रतिवादी संख्या एक द्वारा अतिरिक्त जवाब दिया जायेगा। विक्रय पत्र गवाहो की उपस्थिति में सब रजिस्ट्रार कार्यालय डूंगरपुर में वादी द्वारा उपस्थित हो, विक्रय मूल्य प्राप्त कर अंगुष्ठ लगा सम्पादित करवाया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वादी द्वारा उपरोक्त मकान जो स्वयं उसने विक्रय किया है के बाबत् वाद पेश किया है तो वाद आबादी मकान का होने से क्षेत्राधिकार के अभाव में इस न्यायालय में चलने योग्य नही है तथा वादी को जानकारी है कि उसने प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पादित किया है। दिवानी प्रक्रिया संहिता में उल्लेखित अनुसार शपथ पत्र व डूप्लीकेट वाद पत्र पेश नहीं किया है, जिससे वाद चलने योग्य नही है तथा वाद खारिज योग्य है।

जवाब प्रस्तुति के पश्चात तनकियात कायम की गई।

1 आया वादी विवादित खसरा संख्या 1871 रकबा 0.13 बिस्वा भूमि वाके सीमलवाडा प्रतिवादी संख्या 1 के उत्तरी भाग पर प्रतिवादी संख्या एक द्वारा उतरी भाग पर किये गए अतिक्रमण को विध्वंश करा कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

2 आया वादी प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 1871 में वादी को बेदखल न करने बाबत स्थायी निषेघाज्ञा से पाबंद करा जाने का अधिकारी है।

जिम्मे वादी

3 आया प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा की मद संख्या 1 में दर्शाये गए रकबा की वादी द्वारा दिनांक 23.06.1982 को प्रतिवादी संख्या 1 के हक में विक्रय पत्र पंजीबद्ध कर विकय प्रतिवादी संख्या 1 को किया गया है। जिस पर प्रतिवादी काबिज है। इस आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी

4 आया वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 के मकान जो आाबदी भुमि को लेकर जाक विकय व सब रजिस्टार कार्यालय में पंजीबद्ध मकान को लेकर पेश किया है। उससे सुनने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं है। इस आधार पर वादी का वाद खारिज योग्य है।

जिम्मे प्रतिवादी

पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य रखी गई।

वादी ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री सोमा पिता हकरा जाति भील निवासी गुदावाडा सीमलवाडा

2 पीडब्लयु–2– श्री हरिप्रकाश पिता हरजी रोत निवासी गुदावाडा सीमलवाडा

1 प्रदर्श–1 संवत 2063–2066 की हाल जमाबंदी

2 प्रदर्श–2 नक्शा ट्रेस

उक्त बयानो पीडब्लयु–1 व 2 में बताया कि मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है को विध्वंश कराया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे। उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादी को बेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को कई बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने पर वादी के साक्ष्य शपथ पत्र के आधार पर जिरह हेतु अवसर दिये जाने पर उपस्थित नहीं होने पर जिरह बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी ने अन्य साक्ष्य पेश नही करना चाहा है जिससे प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्य बंद की तनकीवार एकपक्षीय आदेश की कार्यवाही की गई है।

विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी वकील वादी ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है को विध्वंश कराया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे। उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादी को बेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 2 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी की वादीगण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदार काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। दस्तावेजी साक्ष्य साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक एवं अधिकार नहीं है। ऐसे में प्रतिवादीगण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर अवैध अतिक्रमण कर 20 गुणा 30 फिट पर निर्मित किए मकान को ध्वस्त कर व अवैध रूप से डाले गए पत्थरों को हटाया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे। उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादी को बेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। तहसीलदार सीमलवाडा मौका मुआयना व पैमाईश कर अवैध अतिक्रमण हटाकर ध्वस्त किया जावे।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर अवैध अतिक्रमण कर 20 गुणा 30 फिट पर निर्मित किए मकान को ध्वस्त कर व अवैध रूप से डाले गए पत्थरों को हटाया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा वादी को सुपुर्द किया जावे। तथा उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादी को बेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

राकेश कुमार न्योल
उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

आदेश आज दिनांक 16.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राकेश कुमार न्योल
उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)
(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा

इजलास श्री उपखंड अधिकारी सीमलवाडा श्री राकेश कुमार न्योल

प्रकरण संख्या– 23/2020 रेवेन्यु

सोमा बनाम प्रभु वगैरह

वाद अर्न्तगत धारा 183, 188 राटीएक्ट

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू:– श्री राकेश कुमार न्योल
व हाजरी:–

श्री कर्तव्य शाह मिनजानिब मुदई उपस्थित व एकपक्षीय कार्यवाही आदेश मिनजानिब मुदायलाह की ओर, कार्यवाही का होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि–

मौजा सीमलवाडा का खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि के उत्तरी भाग पर अवैध अतिक्रमण कर 20 गुणा 30 फिट पर निर्मित किए मकान को ध्वस्त कर व अवैध रूप से डाले गए पत्थरों को हटाया जाकर खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर रकबा तेरह बिस्वा भूमि का पुनः कब्जा दिलवाया जावे। उक्त प्रकार से खाली करा कर सिपुर्द की भूमि एवं शेष भूमि अर्थात खसरा संख्या 1871 एक हजार आठ सौ इक्योतर के संबध में प्रतिवादी संख्या एक के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि प्रतिवादी संख्या एक स्वयं तथा उसके परिवार के सदस्य, सहयोगी, प्रतिनिधि नौकर आदि किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर वादी को वेदखल नहीं करे ओर काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे।

दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 16.08.2024 को जारी की गई

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

दस्तखत . . . . . .
ओहदा . . . . . .

मुदई	रूपया/पेसा	मुदायलाह	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत मेहनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner